

संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या 1982 आवेदन सं0 4547 20 13
 चूंकि श्री Krishna Prakash Singh Keshari

ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निबंधित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाये।
 (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें।)

इसलिये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में
 और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता0 1982 से ता0 11/11/2013
 तक तलासी की गयी और ऐसी तलासी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला

चिला है अतः

अवभार प्रमाणित

क्र0सं0	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारिख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र0 निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	maura shokhpura P.E. Shastri Nagar 3 Khatam 454, 443, 384 Plot No 1412, 1413, 1424 Area 11 Katha 3 Shastri 3 Shastri							

1. दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें ।

2. बंधक-पत्र की दिशा व्याज की कर और भुगतान की अवधि दर्ज करें । दशतों को उनके बारे में उल्लेख हो ।

3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें ।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपयुक्त संव्यवहारों और अवधारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवधार का पता नहीं चला है ।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया :

(हस्ताक्षर):

(पदनाम):

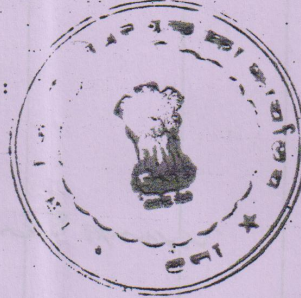
तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जाँच निम्न व्यक्ति ने की :

(हस्ताक्षर):

(पदनाम):

कार्यालय: *praf.*

तारीख: *18/5/12*



18/5/12
मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी :- इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवधार दिखाये गये हैं वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपत्ति के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शनस) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-57 के अधीन जो व्यक्ति (बाहयों) और अनुक्रमाणियों (इन्डेन्स) की प्रवृष्टियाँ देखना चाहते हों अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवधारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलासी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर वहियों और अनुक्रमाणियों उनके पास सामने रखदी जायेगी।

इसके अतिरिक्त चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी मूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है, और चूँकि उसके बाद दूँदे गये संव्यवहारों और अवधारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा दूँदे गये ऐसे संव्यवहारों और अवधारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, अवर निबंधक,

ज्ञाप संख्या

आवेदक श्री

का रूपभार प्रमाण-पत्र द्वारा

का उनके पत्र संख्या

4544

दिनांक

18/5/12

Prakash Singh Keshri

manoj s s r RACIc praf.

दिनांक *16/5/12*

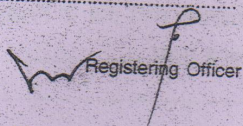
के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है।

18/5/12
निबंधन पदाधिकारी
praf.

0897448

Schedule XXI-Form No. 87.
(H)

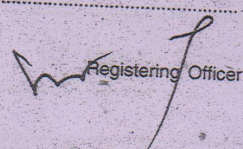
S.N.

**RECEIPT FOR FEES DEPOSITED FOR
SEARCH & COPY**Serial number of application 28900Date of application 16/3Name of applicant Suresh K. A. A.Fees Paid 0400Stamp Paper for 0400Date of deposit 16/3

 Registering Officer

0897447

Schedule XXI-Form No. 87.
(H)

S.N.

**RECEIPT FOR FEES DEPOSITED FOR
SEARCH & COPY**Serial number of application 28899Date of application 16/3Name of applicant Krishna BalakrishnaFees Paid 500Stamp Paper for 500Date of deposit 16/3

 Registering Officer